

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग/राज्य सरकारें/विश्वविद्यालय आदि

4th January, 2013

विषय: योजना आयोग में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधिक अनुबंध सहित) आधार पर अनुसंधान अधिकारी (परिवहन अर्थशास्त्र) पद के लिए चयन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में वेतन बैंड - 3, [15600-39100/-रूपये] + ग्रेड वेतन 5400/-रूपये (संशोधन- पूर्व 8000-275-13500 रूपये) में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधिक अनुबंध सहित) आधार पर अनुसंधान अधिकारी (परिवहन अर्थशास्त्र) के पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता है। चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

2. केन्द्र सरकार/ राज्यों सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्धसरकारी, सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ आर्थिक और सांख्यिकी विषयों से इतर पूर्ववर्ती विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान सहायक जिन्हें आर्थिक अधिकारी (शिक्षा), आर्थिक अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) और आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र) के पदों पर पुनः पदनामित किया गया है, जो **संलग्नक-I** में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं, के मामलों में पद पर चयन हेतु विचार किया जाएगा। यदि परिपूरक श्रेणी के किसी विभागीय अभ्यर्थी का इस पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाता है, तो वह पद पदोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा और यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बाहरी व्यक्ति की अनुशंसा की जाती है, तो पद का प्रस्ताव स्थानान्तरण पर प्रतिनियुक्ति के तौर पर/अल्पावधिक अनुबंध आधार पर, जैसा भी मामला हो, किया जायेगा।

3. पद से सम्बद्ध पात्रता शर्तें, शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, पद का वेतनमान, पद से जुड़े कार्य तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि इत्यादि का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों/विश्वविद्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे इस रिक्ति को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों सहित अपने नियंत्रणाधीन मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध-सरकारी, सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों, आदि में कार्यरत पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों के ध्यान में भी ला दें।


5. अनुरोध है कि ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करते हैं और जिन्हें चयन की सूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर कार्य मुक्त किया जा सके, के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रोफार्मा (**संलग्नक-II**) में भरकर अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित किए जाएं। आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी तथा कार्यालय प्रमुख अथवा उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए :

- (i) अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर्स अथवा पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटो प्रतियां (जो भारत सरकार के न्यूनतम अवर सचिव रैंक के अधिकारी या समकक्ष द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित की गई हों); और
- (ii) संलग्न प्रपत्र में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जो कि भारत सरकार के उपसचिव स्तर अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो; और
- (iii) संलग्न फार्मेट में सतर्कता निकासी जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक अथवा आपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है; और
- (iv) संलग्न फार्मेट में विगत 10 वर्षों के दौरान अभ्यर्थी पर लगाए गए बड़े/छोटे दण्डों की सूची, यदि कोई हो/ दण्ड नहीं लगाए जाने का प्रमाण पत्र।

6. आवेदन केवल ऐसे अभ्यर्थियों के ही अग्रेषित किए जाएं जो सतर्कता की दृष्टि से मुक्त हों। इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन होगी।


7. आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन सभी प्रकार से पूरा हो और निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक-II) में हो। प्रपत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जहां पर सूचना लागू न हो अथवा शून्य हो, तो कृपया इसका उल्लेख किया जाए। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, **अवर सचिव (प्रशा-II), योजना आयोग, कमरा सं0 516, 5वां तल, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001** को भेजा जाए। उपर्युक्त पैरा-5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से अंतिम तारीख तक या उससे पहले प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त अथवा जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है अथवा अपूर्ण अथवा अग्रिम आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. इस रिक्ति का विस्तृत ब्योरा योजना आयोग की वेबसाइट "<http://www.planningcommission.gov.in>" पर " **Appointments/Jobs**" लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

भवदीय

(सुभाष चन्दर)
अवर सचिव (प्रशा. II)
दूरभाष (011)23096522

प्रति अग्रेषित:-

1. योजना आयोग में शिक्षा, समाजशास्त्र तथा परियोजना मूल्यांकन विधाओं के समस्त आर्थिक अधिकारीगण जिन्होंने अंतिम तारीख को ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है/पूरी करेंगे, तथा जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, वे अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में (दो प्रतियों में) अंतिम तारीख तक अपने प्रभागाध्यक्ष के माध्यम से भेज दें।
2. योजना आयोग के सभी नोटिस बोर्ड।
3. निदेशक (सी एण्ड आई), योजना आयोग (परिपत्र की साफ्ट प्रति सहित) को इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को " सर्कुलर/वेकेंसी" हाइपर लिंक के अंतर्गत योजना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।


(सुभाष चन्दर)
अवर सचिव (प्रशा. II)
दूरभाष (011)23096522

योजना आयोग में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा भरे जाने के लिए अनुसंधान अधिकारी (परिवहन अर्थशास्त्र) के एक पद से संबंधित पात्रता शर्तों आदि का विस्तृत ब्यौरा।

1. वेतनमान: वेतन बैंड - 3, 15600-39100/-रूपये + ग्रेड वेतन 5400/-रूपये
[संशोधन पूर्व 8000-275-13500/-रूपये]

2. पद से जुड़ा कार्य:

प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की डाटा संग्रहण, नोट और ज्ञापन तैयार करने में सहायता करना।

3. पात्रता (अंतिम तारीख को)

प्रतिनियुक्ति हेतु

(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी, सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत ऐसे अधिकारी:-

(i) जो सदृश पद पर हों; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 [9300-34800 ₹] + ग्रेड वेतन 4600 ₹ [संशोधन पूर्व 6500-200 -10,500 ₹ वेतनमान] वाले अथवा समकक्ष पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 [9300-34800 ₹] + ग्रेड वेतन 4200 ₹ [संशोधन पूर्व 5500-175-9000 ₹ वेतनमान] वाले अथवा समकक्ष पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास नीचे मद सं0 5 के अंतर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव आदि हों।

पदोन्नति हेतु

अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विषयों से इतर पूर्ववर्ती विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान सहायक जिन्हें आर्थिक अधिकारी (शिक्षा), आर्थिक अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) और आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र) के रूप में पुनःपदनामित किया गया है तथा ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता व अनुभव रखते हैं, पर भी विचार किया जाएगा तथा पद पर नियुक्ति हेतु उनमें से किसी का चयन होने की स्थिति में वह पदोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

नोट: “ परिपूरक श्रेणी (फीडर कैटेगरी) के विभागीय अधिकारी, जो सीधी पदोन्नति के क्रम में हो, प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।”

4. आयु सीमा

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु (अल्पावधि अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव

अनिवार्य

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र/वाणिज्य/बिजनेस प्रशासन में मास्टर डिग्री अथवा समतुल्य अर्हता।
- (ii) परिवहन अर्थशास्त्र/परिवहन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुसंधान अथवा आयोजना का अनुभव।

6. पात्रता निर्धारण की तारीख

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि [अर्थात् रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन], पात्रता निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण तारीख होगी।

7. प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि:

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इसी संगठन या किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा-संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं0 2/29/91-स्था.(पी.II) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी और अनुबंध पर आने वाले अधिकारियों के मामले में शर्तें संबंधित प्राधिकरण के परामर्श से निश्चित की जाएंगी।

प्रपत्र

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधिक अनुबंध सहित) आधार पर अनुसंधान अधिकारी (परिवहन अर्थशास्त्र) के पद के लिए आवेदन - दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए। [जो लागू न हो उसे काट दें]

1. आवेदक का नाम
2. जन्म की तारीख
3. सेवानिवृत्ति की तारीख
(अधिकारी के लिए लागू केन्द्र/राज्य सरकार नियमों के अधीन)
4. (क) यदि वह किसी संगठित सेवा से संबंधित है तो उसका नाम

(ख) संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण का नाम और पूरा पता

5. शैक्षिक अर्हताएं :

निर्धारित अर्हताएं	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं जो निर्धारित अर्हताओं के समकक्ष अथवा उससे अधिक हों।
अनिवार्य:	
(1)	
(2)	
(3)	

टिप्पणी : यदि अधिकारी की कोई अर्हता निर्धारित अर्हता के समान न हो अथवा उससे उच्च हो या निर्धारित अर्हता के समकक्ष समझी जाए तो, उसके प्राधिकार के बारे में बताएं।

6. अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो, जो आवेदित पद से संबद्ध हो :

संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि		संगठन जहाँ से प्रशिक्षण लिया गया	प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रकृति	अभ्युक्तियां
	से	तक			

7. धारित पद के संबंध में सूचना
- (i) वर्तमान धारित पद
 - (ii) पूरा वेतनमान
 - (iii) वर्तमान वेतन
 - (iv) विशेष वेतन, यदि कोई हो
 - (v) क्या पद नियमित अथवा तदर्थ आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर धारित है?
 - (vi) किस तारीख से इस पद पर हैं ?
 - (vii) यदि वर्तमान पद नियमित आधार पर धारित है, परंतु प्रारंभ में तदर्थ आधार पर धारित था, तो नियमित आधार पर किस तारीख से पद धारित किया गया है।
8. यदि वर्तमान पद नियमित आधार पर धारित नहीं है, तो
- (i) नियमित आधार पर धारित पद
 - (ii) इसका पूरा वेतनमान
 - (iii) नियमित आधार पर धारित किए जाने की तारीख
 - (iv) अधिकारी द्वारा स्थाई क्षमता में धारित पद, यदि कोई हो।
9. (1)(क) क्या वर्तमान पद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 19017/27/75-स्था.(डी) (पार्ट) दिनांक 7.3.1984 की शर्तों के अनुसार सदृश पद है।
- (ख) यदि वर्तमान पद जिसे सदृश समझा जाता है, वह गैर-केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में है, तो निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करें :
- (i) पद से संबंधित कार्य
 - (ii) वेतन संशोधन की अंतिम तारीख:
 - (iii) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ते अथवा औद्योगिक महंगाई भत्ते द्वारा शासित है:
 - (iv) वेतनमान के न्यूनतम और अधिकतम पर देय महंगाई वेतन भत्ता आदि की राशि
 - महंगाई वेतन
 - महंगाई भत्ता
 - अंतरिम राहत

(2) यदि वर्तमान पद सदृश पद न हो तो:

(क) पीबी-2 में 9300-34800 रू + 4600 रू के ग्रेड-पे अथवा पीबी-2 में 9300-34800 रू + 4200 रू ग्रेड-पे अथवा समकक्ष अथवा इससे उच्च वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण करने की तारीख

(ख) गैर केन्द्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले उम्मीदवारों के मामले में-

(i) पूरा वेतनमान, जो 6500-200-10500 रू (पूर्व संशोधित)/5500-175-9000 रू (पूर्व संशोधित) वेतनमान के समकक्ष हो।

(ii) वेतनमान संशोधन की अंतिम तारीख

(iii) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ते/ औद्योगिक महंगाई भत्ते द्वारा शासित है :

(iv) न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान में स्वीकार्य महंगाई भत्ता आदि की राशि:

- महंगाई वेतन

- महंगाई भत्ता

- अंतरिम राहत

10. सेवा का विवरण

पद का नाम	नियोक्ता	अवधि		वेतनमान	कार्य की प्रकृति
		से	तक		

11. चयन के विषय क्षेत्र में अनुभव

टिप्पणी: कृपया अनुसंधान/निरूपण/डिजाइन/आयोजना अथवा योजना/परियोजना के निष्पादन/निरूपण के क्षेत्र में उपलब्धियां दर्शाते हुए प्रकाशित कृतियों की प्रतियां प्रस्तुत करें।

12. (1) पिन कोड संख्या सहित वर्तमान डाक पता

13. दूरभाष सं०

(क) कार्यालय

(ख) आवास

(ग) मोबाइल

14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं

15. कोई अन्य संबद्ध सूचना

दिनांक:

स्थान:

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

नोट: यदि अधिकारी कोई विशेष वेतन आहरित करता है, तो कृपया निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करें :

- (i) जिस नियुक्ति के लिए विशेष वेतन प्रदान किया गया है क्या वह आवधिक नियुक्ति है; और
- (ii) क्या पद के लिए विशेष वेतन विशेष रूप से पद के लिए अलग से वेतन के बदले में वेतनमान के अतिरिक्त स्वीकृत किया गया है ।

आवेदन को अग्रेषित करने वाले कार्यालय के प्रयोग के लिए

सं० -----

दिनांक-----

1. उपर्युक्त प्रविष्टियां इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड से सत्यापित की गई हैं और सही पाई गई हैं।
2. अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक आयोजना) के पद पर उसका चयन होने पर अभ्यर्थी को चयन की सूचना देने के 15 दिन के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा ।
3. सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, सतर्कता निकासी और छोटे/ बड़े दण्ड संबंधी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न हैं।
4. इनके गोपनीय रिपोर्ट डोजियर/ पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ (विधिवत् सत्यापित) संलग्न हैं।

हस्ताक्षर -----

नाम -----

पदनाम -----

फोन नं.-----

(कार्यालय की मोहर)

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की जांच करने के उपरान्त यह प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री.....पदनाम.....जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी (परिवहन अर्थशास्त्र) के पद हेतु आवेदन किया है, की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है ।

(उपसचिव अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर)

दिनांक

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री.....पदनाम.....जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी (परिवहन अर्थशास्त्र) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है न ही विचाराधीन है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

दिनांक:

दण्ड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री.....पदनाम.....जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी (परिवहन अर्थशास्त्र) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध पिछले दस सालों के दौरान कोई छोटा/बड़ा दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

दिनांक:
